फार्म – डी

न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर
जिला–रायपुर (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी – रीमा लकड़ा)
!! निर्णय !!

(आज दिनांक 04.08.2026 को घोषित)
दांडिक प्रकरण क्र0–32981/2026
(आरक्षी केन्द्र–सिविल लाईन, अपराध क्रमांक–316/2026)
संस्थित दिनांक 04.08.2026

अभियोजन	:–	**आरक्षी केन्द्र– सिविल लाईन, रायपुर**
राज्य की ओर से	:–	**श्री योगेश यादव एडीपीओ।**

विरूद्ध

अभियुक्त	:–	**अभियुक्त निराकर कुम्हार पिता श्री करण कुम्हार, उम्र 29 वर्ष पता हाउस नंबर 70 पुरैना गली राजीव पांडे नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर जिला–रायपुर छ0ग0**
अभियुक्त की ओर से	:–	**अभियक्त सहित श्री हरिश मरकाम अधिवक्ता।**

फार्म – ई

घटना दिनांक	:–	07.06.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	:–	07.06.2026
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	:–	04.08.2026
आरोप विरचित दिनांक	:–	04.08.2026
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथी	:–	–
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	:–	–
निर्णय दिनांक	:–	04.08.2026
दंडित करने की तिथी यदि कोई हो	:–	04.08.2026

//अभियुक्त का विवरण//

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोपित अपराध	क्या दोषमुक्त किया गया या दोषसिद्ध किया गया	अधिरोपित दण्ड	जुर्माना के व्यतिक्रम में कारावास	भा.ना.सु.सं. धारा 468 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान भुगती गयी निरोध की कालावधि
1.	निराकर कुम्हार	21.07.26	21.07.26	125(क) भा.न्या.सं.	**दोषसिद्ध**	125(क) भा.न्या.सं. — **5000/— का जुर्माना**	**05 दिन का साधारण कारावास**	**निरंक**

फार्म—एफ
अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	2—3
4	स्वीकृत तथ्य	3
5	अभियोजन का प्रकरण	3
6	निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार	4
7	दंडादेश	5
8	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं मुजरा	5
9	संपत्ति का विवरण	—
10	निरोध अवधि प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता	—

01. उपरोक्त वर्णित अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की **धारा 281, 125 (क)** के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक

दिनांक 07.06.2026 के शाम समय–18.00 बजे, घटना स्थान रतन पैलेस के सामने कटोरा तालाब, रायपुर, जिला–रायपुर (छ0ग0) क्षेत्रांतर्गत में लोकमार्ग पर वाहन ई रिक्शा क्रमांक सीजी 04 पी ई 4548 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करते हुये प्रार्थी मोहम्मद फैज को उपहति कारित किया।

02. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त निराकर कुम्हार ने अपराध के संघटकों को समझकर स्वेच्छयापूर्वक, अपराध कारित करना स्वीकार किया।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है किः– प्रार्थी मोहम्मद फैज ने दिनांक 07.06.2026 रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.06.2026 को शाम करीबन 06.00 बजे उसे उसके भाई वसीम जीलानी एवं उनका दोस्त डॉ सूर्या गुप्ता उसे उसके घर रतन पैलेस अपनी कार रेनाल्ड डस्टर क्रमांक सीजी 18 एल 4455 से छोडने आये थे जैसे ही वह कार से बाहर निकला और कार के गेट को वह पकड़कर खड़ा था उसी समय ई रिक्शा क्रमांक सीजी 04 पी ई 4548 का चालक अपनी वाहन को तेज एवं लापरहवाहीपूर्वक चलाते लाकर कार के दरवाजे को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिसे रोकने की कोशिश की गयी किंतु वह फिर भी भाग गया। एक्सीडेंट से उसे दाहिने हाथ एवं होंठ में चोट आकर खून निकला है एवं वाहन रेनाल्ड डस्टर क्रमांक सीजी 18 एल 4455 के दाहिने तरफ

का पीछे वाला दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 316/26 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04. अभियुक्त के विरूद्ध **भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(क),** के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर, अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित करना स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया है।

05. अभियुक्त को स्वीकारोक्ति के परिणाम से अवगत कराया गया। तदोपरांत उसके द्वारा अपराध करना स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के स्वीकार किया गया। जिसपर अभियुक्त का अभिवाक् उसी के शब्दों में दर्ज किया गया।

06. अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार किये जाने से अभियुक्त को **भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(क)** के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

07. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

08. अभियुक्त के पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख में नहीं है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति के साथ विचार किया जा सकता है। प्रकरण के तथ्यों एवं

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित दण्ड से दंडित किया जाता है–

(अ) चुंकि हस्तगत प्रकरण में धारा 281 तथा धारा 125(क) भा.न्या.सं. का अपराध एक ही संव्यवहार का परिणाम है। अतः धारा 09 भा.न्या.सं. तथा माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **रूपचंद विरूद्ध छ0ग0 राज्य क्रिमनल रिविजन नंबर 46/2000** में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में अभियुक्त को केवल 125(क) भा.न्या.सं.के अधीन दण्डित किया जा रहा है।

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	आरोपित अपराध	क्या दोषमुक्त किया गया या दोषसिद्ध किया गया	अधिरोपित दण्ड	जुर्माना अदा करने की व्यतिक्रम की दशा में कारावास
1.	**निराकर कुम्हार**	125(क) भा0न्या0सं0	**दोषसिद्ध**	**5000/– का जुर्माना**	**5 दिवस का साधारण कारावास**

09. अभियुक्त के द्वारा जुर्माने की राशि अदा करने में व्यतिक्रम करने की दशा में साधाराण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

10. प्रकरण में अभियुक्त की जप्तशुदा संपत्ति ई रिक्शा क्रमांक सीजी 04 पी ई 4548 को संबंधित **थाना प्रभारी थाना सिविल लाईन रायपुर** को मय ज्ञापन जारी कर प्रदान की जावें तथा ई रिक्शा का आरसी एवं अभियुक्त का ड्राईविंग लाईसेंस को न्यायालय से प्रदान की जावें। पावती ली जावें।

11. निर्णय की एक प्रति अभियोजन एवं अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

12. अभियुक्त निराकर कुम्हार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। अतः धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रमाण पत्र तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(रीमा लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश में टंकित किया गया।

सही/–
(रीमा लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर
जिला रायपुर (छ.ग.)